368

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निग0-3845/2018/अनू 45/म्रू प्रकरण क्रमांक ..../18

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

1. सावित्री बेवा स्व0 तारन सिंह, उम्र 77 वर्ष,
2. नर्वदा सिंह तनय स्व0 तारन सिंह, उम्र 46 वर्ष,
3. संतोष सिंह पुत्री स्व0 तारन सिंह, उम्र 48 वर्ष,

   सभी निवासी ग्राम लोहसरा, वार्ड नं. 12, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर म0प्र0
4. विनोद सिंह पुत्री स्व0 तारन सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम ओबरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

.... निगरानीकर्तागण

आवेदक गण की ओर से श्री मोहनलाल तिवारी एड० द्वारा पेश / 25-6-18

25.6.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1. मुन्ना माता स्व0 नानबाई केवट, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड कमांक 1 मौहारी, थाना बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)
2. उत्तम सिंह
3. नीलम सिंह
4. मनीषा सिंह
5. क्षमा सिंह
6. दिव्या सिंह
7. धीरेन्द्र सिंह

   क्रमांक 2 से 7 की माता स्व0 श्रीमती अशोक सिंह पिता तिलक बहादुर सिंह निवासी ग्राम पपरौंडी, थाना जैतहरी, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)

...........गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 26–04–18 राजस्व प्रकरण क्रं. 2/अपील/15–16, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर (म0प्र0)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग./3845/2018/भू.रा./अनूपपुर

सावित्री आदि विरूद्ध मुन्ना माता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मोहनलाल तिवारी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोतमा, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-06-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-अनूपपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

3

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 23.01.19
सदस्य